न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 54/19 निर्णय दिनांकः 18– 2–2020
(आरसीएमएस संख्या 2019/00213)

1. सोनादेवी पत्नि भगवानाराम
2. टीकूराम
3. लिच्छाराम — पुत्र/पुत्रियॉ भगवानाराम
4. मग्गी
5. संतोष
6. हरभजराम पुत्र उम्मेदाराम
   जाति जाट निवासी चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. जैसाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 19–07–2019

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 19–07–2019 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स की संयुक्त खाते की भूमि वाके रोही ग्रगाम चरकड़ा के खेत खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 1404 रकबा 7.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 1.26 हेक्टर कुल तादादी 9.19 हेक्टर भूमि स्थित हैं उक्त भूमि पर अपीलाट्स का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलांट्स काबिज काश्त है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलांट् संख्या 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1399 रकबा 14.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 5.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 2102/1402 रकबा 0.40 हेक्टर कुल तादादी 19049 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 1399 तथा खसरा नम्बर 1398 पर है तथा खेत खसरा नम्बर 1402 तथा खेत खसरा नम्बर 2102/1402 पर अपीलांट् संख्या 6 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पहले से ही ग्राम चरकड़ा से सीलवा के उत्तरी तरफ कटाणी रास्ता चला आ रहा है तथा उसी रास्ते से अर्से–दराज से आवागमन करते आ रहे है। ऐसी स्थिमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251 'ए' आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के पैरा ।। में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट्स को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2019 पार्ट । पेज 403, डीएनजे 2019 एससी पेज 63, आरआरडी 2017 पेज 734, आरआरडी 2016 पेज 290 व आरआरटी 2016 पार्ट पेज 677 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 की संयुक्त खाते की भूमि खेत खसरा नम्बर 1398, 1399, 1402 तादादी 6.04 हेक्टर, 14.00 हेक्टर व 5.05 हेक्टर भूमि वाके रोही चरकड़ा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रहे है। मौके पर खेत खसरा नम्बर 1403 व खेत खरा नम्बर 1404 पर से रास्ता चला आ रहा है तथा इसके अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। अपीलांट्स अक्सर राजनीतिवश रास्ते को लेकर झगड़ा फसाद करते है क्योंकि रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। अपीलांट्स द्वारा उक्त रास्ते को बंद करने की धमकी दिये जाने व रास्ता बन्द कर दिया जाता है तो आवागमन में असुविधा होगी तथा उसके हितों पर कुठाराघात होगा।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रार्थी का पुराना खसरा नम्बर 238 का खातेदार है तथा उक्त खसरा नम्बर 238

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अप्रार्थी/अपीलांट्स संख्या 1 ता 5 के पूर्वज भगवानाराम को विक्रय की थी। जिसके नये खसरा नम्बर 1403 व 1404 बने है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या /प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट व स्टेट के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा नम्बर 1402 रकबा 5.05 हेक्टर में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 1404 में से होकर रास्ता चाहा गया है। मार्ग प्रार्थी को दिया जाना आवश्यक है क्योंकि मुताबिक रिकार्ड खेत में कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहागया रस्ता निकटतम है प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने खेत मे आता–जाता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हेक्टर में से 80X4 = 320 मीटर रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट्स अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अभिभाषक रेस्पेडेन्ट्स ने अपनी बहस में आगे बताया कि अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा ग्राम चरकड़ा के खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हेक्टर में से 80X4 = 320 मीटर रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट जहॉ आवश्यक हो स्वयं पीठासीन अधिकारी अथवा संबंधित तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट धारा 251 ए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

केवल मात्र संबंधित पटवारी द्वारा बिना अपीलांट्स की उपस्थिति के तैयार की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा स्वयं धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

(3) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहॉ एक तरफ तो अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा नजरी नक्शा प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि ग्राम चरकड़ा से सिलवा की तरफ से कटाणी रास्ता पहले से चल रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त रास्ते से आवागमन करते आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होते हुए भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अन्य खातेदारों के खेत से होकर रास्ता अपनी सुविधा के लिए चाहा गया है, ऐसी स्थिति में अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

(4) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त की गई वह मात्र पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट्स व अन्य पक्षकारों की अनुपस्थिति में एकतरफा तौर पर तैयार किया जाना स्पष्ट है।

हम अपीलांट्स के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु रास्ता पूर्व में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में नया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। धारा 251 ए के तहत (absolute necessity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए भी खेत खसरा नम्बर 1404 तादादी 7.90 हेक्टर में से 80X4 = 320 मीटर रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये है, जो धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 19–07–2019 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18–02–2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: